



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20012026-269465  
CG-MH-E-20012026-269465

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 248]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSH 30, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 13 जनवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 276(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जिला - ठाणे में मुंबई शहर परिवहन परियोजना-IIIA के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना, “कल्याण-बदलपुर ३ री व ४ थी रेल मार्ग पारियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20 व की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) उल्हासनगर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपर्याप्त करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी और जाच करने के पश्चात यदी कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमी के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपयुक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना -III A के अंतर्गत “कल्याण-बदलपुर ३ री व ४ थी रेल मार्ग की परियोजना” हेतु चिखलोली गाव, तालुका अंबरनाथ, जिला ठाणे में रेल्वे अधिनियम 1989 एवं रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 कलम 20 ‘ए’ के अनुसार अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमी का संक्षिप्त विवरण।

राज्य - महाराष्ट्र				जिला - ठाणे		
तालुका - अंबरनाथ						
गाव का नाम - चिखलोली						
अ. क्र.	स. नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्रफल	भूमीका प्रकार	७/१२ के अनुसार क्षेत्र (हे.आर.)	२० अ का क्षेत्र (हे.आर.)
१	१८०	-	सरकार	कृषी	३.५५००	०.०८६०
कुल				३.५५०० (हे.आर.)	०.०८६० (हे.आर.)	गावठाण

[फा. सं. G197/MRVC/KYN-BUD 3rd & 4th Line/Chikhiali Vlg/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

## NOTIFICATION

Mumbai, the 13th January, 2026

## Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

**S.O. 276(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the Railway (Amendment) Act 2008 (No. 11 of 2008)), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, “**3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> line between Kalyan-Badlapur (14.05 km)**” under MUTP-IIIA Projects, in Thane District in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority Land Acquisition and Sub-Divisional officer, Ulhasnagar**, District Thane, Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, for the Special Rly Project namely “**3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> line between Kalyan-Badlapur (14.05 km)**” under MUTP-IIIA in Chikhali village, Taluka Ambernath, District Thane in the state of Maharashtra under section 20 A of the Railway Act, 1989 and Railway (Amendment) Act, 2008.

State - Maharashtra					Dist-Thane					
Taluka - Ambernath										
Village - Chikhali										
Sr. No.	Survey No.	Hissa No.	Land Acquisition Type	Land Type	Area as per 7/12 Extract (in Ha.)	Area for 20A (in Ha.)	Name as per 7/12 Extract			
1.	180	-	Govt.	Agriculture	3.5500	0.0860	Gaonthan			
Total					<b>3.5500 (Ha.)</b>	<b>0.0860 (Ha.)</b>				

[F. No. G197/MRVC/KYN-BUD 3rd & 4th Line/Chikhali Vlg/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)